रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11, 1984 (माघ 22, 1905)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11, 1984 (MAGHA 22, 1905)

B 18.2.84

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	175
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	165
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	301
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2957
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	75
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	17
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	967
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	27
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—451GI/83

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	175
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	165
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	301
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2957
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .	75
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	17
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	967
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	27
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*folios not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 1984

सं० 11-प्रेस/84—राष्ट्रपति नवें एशियाई खेल 1982 के सफल आयोजन के लिए सिविल और सैनिक व्यक्तियों द्वारा की गई विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के लिए विशेष पदकों की सहर्ष व्यवस्था करते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित अध्यादेशों की स्थापना और उससे संबंधित कानून बनाते हैं जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू समझे जाएगें ।

एशियाड विशिष्ट ज्योति और एशियाड ज्योति

एशियाड विशिष्ट ज्योति

प्रथम – यह पदक "एशियाड विशिष्ट ज्योति" कहलायेगा ।

दूसरा – पदक सोने का बना गोल आकृति में 3 मिलीमीटर मोटा होगा और इसका व्यास 35 मिलीमीटर होगा । इस पदक के आगे बीच में नवें एशियाड सिम्बल का निशान होगा और उसके ऊपरी भाग में नवें एशियाई खेल 1982 और उसके निचले भाग में नवें एशियाई खेल 1982 लिखा होगा । इसके दूसरी ओर के बीच में एशियाड टार्च होगी और इसके ऊपरी हिस्से पर एशियाड विशिष्ट ज्योति और उसके निचले हिस्से पर एशियाड विशिष्ट ज्योति लिखा होगा । इस पदक का एक सीलड नमूना बनाकर रखा जायेगा ।

तीसरा – पदक 32 मिलीमिटर चौड़े हरे रंग (नवें एशियाड हरे रंग) के रेशमी रिबन द्वारा वक्षस्थल के बाईं ओर लटकाया जायेगा ।

चौथा – यह पदक नवें एशियाई खेल 1982 के सफलता पूर्वक आयोजन और संचालन के लिए विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जायेगा ।

पांचवां – पदक मरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता है ।

छठा – जिन व्यक्तियों को पदक प्रदान किये जायेंगे उनके नामों की घोषणा भारतीय राजपत्र में की जायेगी और इनके लिये राष्ट्रपति जी के निदेशानुसार एक रजिस्टर रखा जायेगा ।

सातवां – पदक राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

आठवां – इस पदक के लिए पुरुष और महिला दोनों पात्र होंगे ।

नवां – राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को दिये गये पदक को रद्द और उसका लोप कर सकते हैं । ऐसा करने पर उसका नाम रजिस्टर में से काट दिया जायेगा और उस व्यक्ति को पदक वापस करना होगा, किन्तु राष्ट्रपति जी को यह अधिकार होगा कि वह बाद में अपने रद्द और लोप करने के आदेश को वापस लेकर यह पदक पुनः प्रदान कर दें ।

दसवां – पदक को रद्द करने अथवा पुनः प्रदान करने के प्रत्येक मामले की सूचना भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी ।

ग्यारहवां – सरकार इन अध्यादेशों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये ऐसे यथा-अपेक्षित निर्देश तैयार करने के लिए सक्षम होगी ।

एशियाड ज्योति

प्रथम – यह पदक एशियाड ज्योति कहलायेगा ।

दूसरा – पदक चांदी का बना गोल आकृति में 3 मिलीमीटर मोटी और इसका व्यास 35 मिलीमीटर होगा । इसके अग्रिम भाग के मध्य में नवें एशियाड का निशान होगा और व्यास के ऊपरी भाग में "नवम् एशियाई खेल 1982 और निचले भाग में व्यास के साथ साथ "नवम् एशियाई खल 1982 " लिखा होगा । इसके पिछले भाग के मध्य में एशियाई टार्च होगी और इसके ऊपर व्यास के साथ-साथ एशियाड ज्योति और निचले भाग में व्यास के साथ साथ एशियाड ज्योति लिखा होगा । पदक का एक मोहरबन्द नमूना बनाकर रखा जायेगा ।

तीसरा – पदक 32 मीलीमीटर चौड़े हरे रंग (नवें एशियाड हरे रंग) के रेशमी रिबन द्वारा वक्षस्थल के बाईं ओर लटकाया जायेगा ।

चौथा – यह पदक नवें एशियाई खेल 1982 के सफलता पूर्वक आयोजन और संचालन के लिए सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जायेगा ।

पांचवां – पदक मरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता है ।

छठा – जिन व्यक्तियों को पदक प्रदान किये जायेंगे उनके नामों की घोषणा में भारतीय राजपत्र में की जायेगी और इनके राष्ट्रपति जी के निदेशानुसार एक रजिस्टर रखा जायेगा ।

सातवां – पदक राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

आठवां – इस पदक के लिए पुरुष और महिला दोनों पात्र होंगे

नौवां – राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को दिये गये पदक को रद्द और लोप कर सकते हैं । ऐसा करने पर उसका नाम रजिस्टर में से काट दिया जायेगा और उस व्यक्ति को पदक वापस करना होगा, किन्तु राष्ट्रपति जी को यह अधिकारी होगा कि वह बाद में अपने रद्द और लोप करने के आदेशों को वापस लेकर यह पदक पुनः प्रदान कर दें ।

दसवां – पदक को रद्द करने अथवा पुनः प्रदान करने के प्रत्येक मामले की सूचना भारतीय राजपत्र में प्रकाशित को जायेगी ।

ग्यारहवां – सरकार इन अध्यादेशों के प्रयोजनो को पूरा करने के लिए ऐसे यथा अपेक्षित निर्देश तैयार करने के लिए सक्षम होगी ।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1984

सं० 13019/3/83-जी० पी०-2—इस मंत्रालय की तारीख 9-7-1983 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, राष्ट्रपति शिव मन्दिर सभा, चण्डीगढ़ के अध्यक्ष श्री टी० एल० सतीजा को, 31-3-1984 तक की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए गृह मन्त्री की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करते हैं ।

बालेश्वर राय, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1984

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रति अदायगी/सा० सू० 5/84—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति आयगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/ फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 17/83, दिनांक 1 जून, 1983 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 1208 के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
1209	(i) ग्राइप वाटर (ii) गेलाटाइन कैप्सूल (iii) सर्जिकल स्पिरिट (iv) ईथर एनेस्थैटिक बी० पी० (v) सीसेम तेल बी० पी० (vi) स्ट्राइसीन अल्कालाइड	दरों की घोषणा बाद में की जाएगी ।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून 1983 को प्रवृत्त हुई मानी जाएगी ।

फा० स० 600/1202 1204-1206/84-प्र० अ०

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 6/84—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-17/83 दिनांक 1 जून 1983 में प्रकाशित सारणी मे एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2506 (क) 2506 (ख) और 2631 तथा इनसे सबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे यथा :—

उप-मांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	विनिधान	
			सी०शु० रु०	के०उ०शु० रु०
2506	(क) विस्कोस टायर/सूत/ट्वाइन	6.20 रु० (केवल छः रुए बीस पैसे) प्रति किलो ग्राम	5.75	0.45
	(ख) विस्कोस टायर डोरी/ट्वाइन	9.30 रु० (केवल नौ रुपए तीस पैसे) प्रति किलो ग्राम	5.75	3.55
2631	विस्कोस टायर फैब्रिक/वार्प शीट	9.30 रु० (केवल नौ रुपए तीस पैसे) प्रति किलो ग्राम	5.75	3.55

यह सार्वजनिक सूचना दिनांक पहली जून 1983 से प्रवृत समझी जाएगी ।

फा० सं० 600/2506(क) (ख) तथा 2631/83-प्र० अ०

सं० प्रतिअदायगी सा० सू०-7/84—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, प्रति दायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-17/83 दिनांक 1 जून 1983 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमाक 102 और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा :—

उप क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	विनिधान
102	एल्यूमीनियम तार सहित अथवा रहित चाय से भरे हुए चाय के थैले	फिल्टर पेपर (सरंध्र कागज) अन्तर्वस्तु के प्रति किलो ग्राम पर 86.00 रु० (केवल छियासी रुपए)	सम्पूर्ण सीमा शुल्क

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून 1983 के दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी ।

फा० सं० 600/102/83-प्र० अ० (ए०1)

जैड बो० नागरकर, उप सचिव

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 1984

संशोधन

सं० क्रय-2/निपटान/विशेष सैल/ए 'ए०' वाहन—युद्ध सम्बन्धी रक्षा अधिशेष भंडारों के निपटान के लिए गठित की गई एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के बारे में दिनांक 3-1-85 के समसंख्यक संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

के लिए

पैरा 1 मद संख्या 5

वायु सेना के एयर कामोडोर के पद का एक प्रतिनिधि अधिकारी

पढ़ा जाए ।

वायु सेना के एयर वाईस मार्शल के पद का एक प्रतिनिधि अधिकारी ।

2. अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प के उपर्युक्त संशोधन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० एम० हरिहरन, सयुक्त सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1983

संकल्प

सं० डी० ए०-11/7(21)/83-कसंट/107—भारत सरकार ने अग्नि शामक उपस्कर उद्योग की विकास नामिका का गठन करने का निर्णय किया है। नामिका का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :—

1. श्री आर० एन० बसु, अध्यक्ष
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली ।

2	प्रतिनिधि, प्रशासनिक मन्त्रालय ।	सदस्य
3	प्रतिनिधि, सरकारी उद्यम का कार्यालय ।	सदस्य
4	प्रतिनिधि, भारतीय मानक संस्थान ।	सदस्य
5	प्रतिनिधि, केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान ।	सदस्य
6	प्रतिनिधि, अग्नि अनुसन्धान रक्षा संस्थान ।	सदस्य
7	श्री जी० बी० मेनन अग्नि सलाहकार , गृह मन्त्रालय, सिविल सुरक्षा महानिदेशक का प्रतिनिधि।	सदस्य
8	श्री महेन्द्र प्रसाद, अग्नि सलाहकार रक्षा मन्त्रालय ।	सदस्य
9	प्रधान, भारतीय अग्नि सुरक्षा इंजीनियर, एसोसिएशन, बम्बई ।	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स कुवर्जी देवशी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ।	सदस्य
11	प्रबन्ध निदेशक, मैसस डायर एण्ड पलाट (आई०) लि० बम्बई ।	सदस्य
12	प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स बृजवासी उद्योग लि०, नई दिल्ली ।	सदस्य
13	प्रबन्ध निदेशक, विजय मशीनरी स्टोर लि०, बम्बई ।	सदस्य
14.	प्रतिनिधि, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, हैदराबाद ।	सदस्य
15.	प्रतिनिधि, नागरिक उड्यन का महानिदेशालय ।	सदस्य
16.	प्रतिनिधि, भारतीय तेल निगम ।	सदस्य
17.	प्रतिनिधि, मझगाव डाक लि० ।	सदस्य
18	श्री सुशील कुमार , निदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

(2) नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है —

1 उद्योग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना, इसके भावी विकास के लिए परिप्रेक्ष्य मांग का अनुमान और अन्तरालों को दूर करने की सिफारिश करना ।

2 प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्याकन करना, अन्तरालो का पता लगाने और अपेक्षित स्तर तक किस्म को उन्नत्य करने के अभ्युजय सुझाना तथा आधुनिकीकरण करने के लिए उपाय सुझाना ।

3 उत्पाद एव उसके लिए कच्चे माल और अवयवो का आयात प्रतिस्थापन करने के लिए अभ्युपाय सुझाना—

4 सभी क्षेत्रों द्वारा समचित अग्नि शामक उपस्करो का प्रयोग करने के बारे मे अभ्युपाय सुझाना ।

5 उद्योग के विकास के हित मे अन्य कोई ऐसे पहलू जिन्हे नामिका महत्वपूर्ण समझे ।

(3) नामिका की अवधि दो वर्ष होगा ।

(4) नामिका सम्बन्धित मामला पर अपनी रिपोर्ट समय-समय पर देगी और वर्ष मे एक बार अवश्य रिपोर्ट देनी होगी ।

(5) आदेश दिया जाता है कि सकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियो को भेज दी जाए ।

(6) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र मे आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाए ।

दिनाक 19 जनवरी 1984

सकल्प

स० इण्ड०, एक्सप्ला०/9(2)/83—भारत सरकार ने इस सकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए इण्डस्ट्रीयल एक्सप्लोसिव्स उद्योग के लिए विकास नामिका का निम्न प्रकार से गठन करने का निर्णय किया है —

1	श्री एन० विश्वास, उप महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली-110001 ।	अध्यक्ष
2	श्री एस० गणशपाडियन, उप सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली-1 ।	सदस्य
3.	प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार ।	सदस्य
4	डा० एन० एम० बार, एक्सप्लोसिवस रिसर्च एण्ड डेवलपमेट लेबोरेटरी, पूना (रक्षा मन्त्रालय) ।	सदस्य
5	श्री बी० आर० दवे, मुख्य नियन्त्रक, एक्सप्लोसिवस, नागपुर ।	सदस्य
6.	प्रतिनिधि, मैसर्स आई० टी० एल० कैमिकल्स लि०, हैदरादाद ।	सदस्य
7	प्रतिनिधि, मैसर्स आई० बी० पी० कम्पनी लि०, नई दिल्ली ।	सदस्य
8	प्रतिनिधि, मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लि०, गोमिया (बिहार) ।	सदस्य

9 प्रतिनिधि, सदस्य
मैसर्स कोल इण्डिया लि०,
कलकत्ता ।

10. प्रतिनिधि, सदस्य
निर्माण एवं आवास मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।

11. प्रतिनिधि, सदस्य
खान सुरक्षा महानिदेशक का कार्यालय,
धनबाद ।

12 प्रतिनिधि, सदस्य
मैसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ
इण्डिया, सिन्दरी,
(जिला धनबाद) ।

13 श्री बी० मिन्ज,
अपर औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली । सदस्य–सचिव

2 नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(1) उद्योग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना, इसके भावी विकास के लिए परिप्रेक्ष्य, मांग का अनुमान और अन्तरालों को दूर करने की सिफारिश करना ।

(2) क–प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना और अपेक्षित स्तर तक किस्म–उन्नयन कर सम्बन्धी अभ्युपाय सुझाना, और आधुनिकीकरण के लिए उपाय सुझाना ।

ख–विकास के स्तर के बारे मे विचार करना और डिजाइनो/प्रक्रियाओं के विकास के लिए अभ्युपाय सुझाना ।

(3) सामग्री एवं ऊर्जा उपभोग के मानदण्डों के बारे में सलाह देना, उन्हे कम करने के उपाय करना और दक्षता व उत्पादकता मे सुधार करने सम्बन्धी अभ्युपायो की सिफारिश करना ।

(4) उद्योगो के विभिन्न क्षेत्रो के लिए उत्पादन के आर्थिक व अपेक्षित मानो के बारे में सलाह देना ।

(5) उत्पाद एव उसके लिए कच्चे माल और अवयवो के आयात प्रतिस्थापन के बारे मे अभ्युपाय सुझाना ।

(6) निर्यात प्रजनन के बारे मे सलाह देना ।

(7) कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतो तथा उपभोग के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग की वृद्धि और क्षेत्रीय विकास के नमूनों सम्बन्धी सलाह देना ।

(8) उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए नामिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कोई विषय ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियो को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० डी० चतुर्वेदी,
निदेशक (प्रशासन) ।

पर्यावरण विभाग

नई दिल्ली–110011, दिनांक 16 जनवरी 1984

सं० ए०–43012/1/85–प्रशासन–1—पर्यावरण विभाग के कार्यों में परामर्श देने और पर्यावरण क्षेत्र में जनता के विस्तृत क्षेत्र के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, भारत सरकार में राष्ट्रीय पर्यावरण सलाहकार समिति के गठन करं के निर्णय लिया है :—

2. समिति का गठन इस प्रकार से होगा :—

अध्यक्ष,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री,
नई दिल्ली ।

उपाध्यक्ष

पर्यावरण उप–मंत्री, नई दिल्ली ।

सदस्य,

1. श्री अनिल अग्रवाल,
निदेशक,
विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र,
807 विशाल भवन
95, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली–110010 ।

2. डा० अशोक खोसला,
अध्यक्ष,
डेवलपमेंट एलटरनटिवस,
22, पालम मार्ग,
बसन्त विहार,
नई दिल्ली–110057 ।

3. डा० देशबन्धु,
अध्यक्ष,
इण्डियन इन्वायरमेंटल सोसाइटी,
8, दरिया गंज,
नई दिल्ली–110002 ।

4 श्री सुन्दर लाल बहुगुणा,
पर्वतीय नवजीवन मण्डल,
पी० ओ० सिल्यारा,
टिहरी गढ़वाल,
(उत्तर प्रदेश) ।

5. श्री हर्ष वर्धन,
महासचिव,
टूरिज्म एण्ड वाईल्ड लाईफ सोसाइटी आफ इण्डिया,
सी–158, दरियागंज मार्ग,
तिलक नगर,
जयपुर–302005 ।

6. श्री दलीप मथाई,
23, ए, स्टर्लिंग एपार्टमेंण्ट्स,
38, देशमुख रोड,
बम्बई–50026 ।

7. डा० सलीम अली,
बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
बम्बई ।

8. श्री टी० आर० सारनाथल,
सोसाइटी फार क्लीन ईन्वायरनमेंट,
(एस० ओ० सी० एल० ई० ई० एन०),
गार्डेन हिलोट
606, सियान ट्राम्बे रोड,
बम्बई ।

9. श्री एम० के० दाल्वी,
एक्स० आई० बी० एफ०,
4, सत्यम अपार्टमेंट,
कस्तूरबा नगर,
अरुणादयार सोसाइटी,
वदोदारा–390005 ।

10. श्री अरविन्दै नेताम,
संसद सदस्य,
पी० ओ० कान्केट,
जिला बस्तर,
(मध्य प्रदेश) ।

11. श्री जफर फतहअली,
डोडागुब्बी पोस्ट,
वाया विद्यानगर,
बंगलौर–562135 ।

12. श्री एम० वाई० घोरपडे,
दि पैलेस सन्दूर,
बिलारी जिला,
कर्नाटक ।

13. डा० माधव गाडगिल,
इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस,
बंगलौर ।

14. प्रो० बी० रामाचन्द्रा राव,
संसद सदस्य,
उप कुलपति,
तिरुपति विश्वविद्यालय,
तिरुपति,

15. प्रो० एम० के० प्रसाद,
अध्यक्ष,
हैल्थ एंड इन्क्वायरनमेंट ब्रिगेड,
परिक्षाल भवन,
चेपटा कुलम रोड,
त्रिवेन्द्रम–659001 ।

16. श्री हरि डंग,
प्रिंसिपल,
सेन्ट पाल्स स्कल,
दार्जिलिंग,
(पश्चिमी बंगाल) ।

17. प्रो० ए० के० शर्मा,
वनस्पति विभाग,
कालेज आफ साईंस,
कलकत्ता विश्वविद्यालय,
कलकत्ता ।

18. श्री ए० मिश्रा,
सचिव,
उड़ीसा इन्वायरमेंटल कान्सनैस सोसाइटी,
मार्फत: स्कूल आफ लाईफ साइंसिस,
बरला–768577,
(उड़ीसा) ।

19 श्री प्रेम शंकर झा,
टाइम्स आफ इण्डिया,
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002।

20. श्री ई० एस० बंगम,
आई० एफ० एस० (रिटायर्ड)
मार्फत अरुणाचल फारेस्ट कार्पोरेशन,
पी० ओ० दिओमली,
वाया नहरकटिया,
(अप्पर आसाम)

सदस्य–सचिव
सचिव,
पर्यावरण विभाग,
नई दिल्ली ।

3 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) पर्यावरणीय विषयों को उजागर करना और उपचारी कार्यवाही पर परामर्श देना;

(2) पर्यावरणीय महत्व के राष्ट्रीय विषयों पर लोगों से चर्चा को बढ़ावा देना ।

(3) पर्यावरणीय कार्यक्रमों में जनता की वचनबद्धता और सहयोग को बढावा देना; और

(4) राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्राथमिकताओं और कार्यवाही योजनाओं की जनता की जानकारी पर पुनर्निवेशन प्रदान करना ।

समिति की सिफारिशें सलाह के रूप में होंगी और पर्यावरण विभाग को दे दी जाएंगी ।

4. समिति का कार्य पर्यावरण विभाग द्वारा किया जाएगा ।

5. समिति के सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे ।

6. समिति का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा जो 16 जनवरी, 1984 से प्रारम्भ होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राष्ट्रीय पर्यावरणीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों को सम्प्रेषित की जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि साधारण जानकारी के लिए संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

त्रिलोकी नाथ खुल्लर, सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1984

संकल्प

स० एक्स० 19014/2/83–डी० एम० एस० एवं पी० एफ० ए०— भारतीय भेषज संहिता के तीसरे संस्करण के संकलन के हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1978 में 30 जून, 1978 के संकल्प सं० एक्स० 19015/1–72 डी० एम० एस० के तहत भारतीय भेषज संहिता समिति का सुनर्गठन किया था । उस समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो पांच वर्ष का था वह 30 जून, 1983 को पूरा हो गया। भारतीय भेषज संहिता के तीसरे संस्करण के पूरक का संकलन करने हेतु भारत सरकार ने भारतीय भेषज संहिता समिति का पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करने का फैसला किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

(1) डा० नित्यानन्द
निदेशक,
केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान,
संस्थान, लखनऊ ।

(2) डा० पी० एल० शर्मा, सदस्य
भेषज विज्ञान के प्रोफेसर,
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और
अनुसन्धान संस्थान
चण्डीगढ़ ।

(3) डा० वी० एम० हेगड़े सदस्य
आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर
कस्तुरबा मेडिकल कालेज
मंगलौर–575001 ।

(4) डा० आर० डी० कुलकर्णी, सदस्य
भेषज गुण विज्ञान के प्रोफेसर
जे० जे० ग्रुप आफ हास्पीटल्स
बम्बई ।

(5) डा० जे० एस० गुलेरिया सदस्य
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
आयुर्विज्ञान विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
नई दिल्ली-110022।

(6) आयुक्त, सदस्य
खाद्य और औषधि नियन्त्रण प्रशासन
महाराष्ट्र राज्य,
बम्बई ।

(7) निदेशक, सदस्य
खाद्य और औषधि मानक प्रशासन,
गुजरात राज्य
अहमदाबाद ।

(8) औषधि नियन्त्रक सदस्य
कर्नाटक,
बंगलौर ।

(9) श्री आर० एस० अय्यर, सदस्य
निदेशक, नियम एवं गुणकता सुनिश्चितता
मैसर्ज ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लि०
बम्बई ।

(10) डा० जी० रामन्ना राव सदस्य
अध्यक्ष,
क्वालिटी नियन्त्रण विभाग,
भारतीय औषधि और फार्मास्यिटिकल्स
(लिमिटेड), हैदराबाद ।

(11) डा० परविन्दर सिंह, सदस्य
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक,
मैसर्स रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड
नई दिल्ली ।

(12) निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला
कलकत्ता ।

(13) निदेशक सदस्य
केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान
कसौली ।

(14) निदेशक सदस्य
केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला
राजनगर
गाजियाबाद ।

(15) औषधि नियन्त्रक (भारत), सदस्य-सचिव
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
नई दिल्ली ।

2 इस समिति के अध्यक्ष में जरूरत पड़ने पर उप-समितियां बनाने तथा ऐसी उप-समितियों में बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करने की शक्ति निहित होगी ।

3 इस समिति में पद्धति के अपने नियम बनाने की शक्ति भी निहित होगी ।

4 सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा किन्तु वे बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी नियमानुसार यात्रा-भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

शिव दयाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी, 1984

संकल्प

सं० 37–57/83–एल०–डी०–II—भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्रों और केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है । प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(1) श्री पी० एल० कोहली, अध्यक्ष
अवर सचिव
कृषि और सहकारिता विभाग ।

(2) डा० ओ० एन० सिंह, सदस्य
पशु पालन आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग ।

(3) श्री एम० वाई० ओलकर सदस्य
वित्तीय सलाहकार, ,
कृषि और सहकारिता विभाग ।

(4) क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन सदस्य
और केन्द्रीय चारा प्रदर्शन
उत्पादन फार्म के निदेशक ।

(5) सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त/ सदस्य-सचिव
उपायुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग ।

प्रबन्ध समिति निम्नलिखित कार्य करेगी और नीचे दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी :—

(क) नीति सम्बन्धी सभी मामलों पर विचार करना और उन्हें स्वीकृति देना तथा योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना; और परिवर्तन करना,

(ख) फार्मों के कार्यों से सम्बन्धित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना,

(ग) पुनर्नियोजन की शक्तियों पर लगे प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में धन-राशि का पुन आबंटन करने से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम पर विचार करना तथा परिवर्तनों के लिए स्वीकृति देना,

(घ) कार्मिक प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी सभी मामलों से सम्बन्धित नीतियों पर विचार करना तथा उनकी सिफारिश करना ,

(ड) प्रबन्ध समिति भारत सरकार द्वारा योजना सम्बन्धी किसी भी मामले पर समय-समय पर जारी किए गए निर्देशो को अमल मे लाएगी।

(च) प्रबन्ध समिति वित्तीय शक्तियो का प्रयत्न करने वाले नियम 1978 के नियम 13(2) के तहत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयो को प्रदत्त सभी शक्तियों का उक्त नियमो के प्रावधानो के अनुसार प्रयोग करेगी।

इसमे निम्नलिखित शक्तिया शामिल नही है —

(1) पदो का सृजन,

(2) हानियो को बट्टे खाते मे डालना और

(3) मूल बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत से अधिक की धन राशि का पुनर्नियोजन।

प्रबन्ध समिति वर्ष मे दो और यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक बार बैठक कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रो, भारत सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागो, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व वाणिज्य लेखा परीक्षा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद और निदेशक, सामान्य नौपरिवहन को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र से प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० 37-58/83-एल० डी०-2—भारत सरकार ने केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन करने का निर्णय किया है। प्रबन्ध समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा —

(1) श्री पी० एम० कोहली, अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग। — अध्यक्ष

(2) डा० ओ० एन० सिंह, पशु पालन आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग। — सदस्य

(3) श्री एम० वाई० प्रियालकर, संयुक्त सचिव, एव वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग। — सदस्य

(4) निदेशक, केन्द्रीय कुक्कुट और प्रजनन फार्म। — सदस्य

(5) संयुक्त आयुक्त (पी०), कृषि और सहकारिता विभाग। — सदस्य-सचिव

प्रबन्ध समिति निम्नलिखित कार्य करेगी और नीचे दी गई शक्तिया का प्रयोग करेगी —

(क) नीति सम्बन्धी सभी मामलो पर विचार करना और उन्हें स्वीकृति देना तथा योजना की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए प्राथमिकताये निर्धारित करना और परिवर्तन करना,

(ख) फार्मो के कार्यो से सम्बन्धित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना,

(ग) पुनर्नियोजन की शक्तियो पर लगे प्रतिबन्धो को ध्यान मे रखते हुए स्वीकृति कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा मे धन-राशि का पुनः आबंटन करने वे सहित वार्षिक कार्यक्रम पर विचार करना तथा परिवर्तनो के लिए स्वीकृति देना।

(घ) कार्मिक प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी सभी मामलो से सम्बन्धित नीतियों पर विचार करना तथा उनकी सिफारिश करना,

(ङ) प्रबन्ध समिति भारत सरकार द्वारा योजना सम्बन्धी किसी भी मामले पर समय-समय पर जारी किए गए निर्देशो को अमल में लाएगी।

(च) प्रबन्ध समिति वित्तीय शक्तिया प्रयत्न करने वाले नियम, 1978 के नियम 13(2) के तहत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयो को प्रदत्त सभी शक्तिया का उक्त नियमो के प्रावधानो के अनुसार प्रयोग करेगी। इसमे निम्नलिखित शक्तिया शामिल नही है —

(1) पदो का सृजन

(2) हानियो को बट्टे खाते मे डालना, और

(3) मूल प्रावधान की 10 प्रतिशत से अधिक की धन-राशि का पुनर्नियोजन।

प्रबन्ध समिति वर्ष मे दो और यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक बार बैठक कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रो, भारत सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागो मंत्रिमण्डल सचिवालय प्रधान मन्त्री सचिवालय योजना आयोग राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व वाणिज्य लेखा परीक्षा निदेशक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और निदेशक सामान्य नौवहन परिवहन को प्रेषित की जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

पी० एम० कोहली, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनाक 27 दिसम्बर 1983

संकल्प

सं० 2-6/83-वानिकी/एफ० आई० पी० सी०—देश मे मेवा और अन्य किस्म के फलो की पैदावार बढने से पैकिंग की माग काफी बढ गई है, जिसके फलस्वरूप वनो का अनाच्छादन तेजी से हुआ है। फलो आदि की पैकिंग की माग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक पैकिंग सामग्री विकसित करना आवश्यक है। फलो आदि की पैकिंग के लिए लकडी का प्रयोग कम करने के प्रश्न पर इस मंत्रालय मे विचार किया जा रहा है अब यह निर्णय किया गया है कि वैकल्पिक पैकिंग प्रणालियो द्वारा लकडी का प्रतिस्थापन कर अथवा उसका प्रयोग कम करने से सम्बन्धित समस्याओ पर विचार करने के लिए एक कृतक बल का गठन किया जाए।

2 कृतक बल का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा —

(1) अध्यक्ष, वन अनुसन्धान संस्थान तथा महाविद्यालय डाकखाना न्यू फारेस्ट देहरादून। — अध्यक्ष

(2) डा० ए० पी० मिश्र निदेशक (बागवानी), कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग नई दिल्ली। — सदस्य

(3) बागवानी निदेशक, हिमाचल प्रदेश, नानबहार, शिमला-2। — सदस्य

(4) श्री एस० एस० चन्दन, कार्यकारी निदेशक, नफेड, नई दिल्ली। — सदस्य

(5) श्री जी० एस० शुक्ला, कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य

(6) बागवानी निदेशक, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद। — सदस्य

(7) महाप्रबन्धक, उत्तरी-पूर्वी प्रादेशिक, विपणन एवं परिसंस्करण निगम, गोहाटी। — सदस्य

(8) श्री यू० एस० कांग, भूतपूर्व सलाहकार, योजना आयोग, मार्फत गांव लाडवा वरास्ता रादौर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाना। — सदस्य

(9) श्री एम० एम० आर्वे, निदेशक, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षा बगेतदार संघ, द्राक्षा भवन, ई-4, मार्केट यार्ड, गुलनेकदी, पुणे-411037। — सदस्य

(10) श्री जगदीश कोडेशिया, सदस्य, स्थायी समिति, भारत कृषक समाज, 6-8, रीगल बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। — सदस्य

(11) प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम, शिमला। — सदस्य

(12) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन विकास निगम, लखनऊ। — सदस्य

(13) महावनपाल, महाराष्ट्र राज्य, केन्द्रीय बिल्डिंग, पुणे-1। — सदस्य

(14) श्री ए० कृष्णास्वामी, सेवा निवृत्ति निदेशक (बागवानी), मार्फत महावनपाल, कर्नाटक राज्य, बंगलौर। — सदस्य

(15) डा० सी० माझी, सहायक निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली। — सदस्य

(16) उप वन महानिरीक्षक (सामान्य), कृषि और सहकारिता विभाग। — सदस्य-सचिव

3. कृतक बल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) फल और सब्जियों की विभिन्न श्रेणियो के लिए पैकिंग पेटियो की जरूरत का हिसाब लगाना;

(2) पैकिंग पेटियों के लिए लकड़ी की मौजूदा तथा भावी उपलब्धता का जायजा लेना;

(3) पैकेज उद्योग के लिए लकड़ी की मौजूदा तथा भावी मांग और वन संसाधनों पर उसके प्रभाव का जायजा लेना।

(4) प्रतिस्थापित पेटियों के मौजूदा स्तर और विभिन्न श्रेणियों की बागवानी फसलों के संबंध में अन्य वैकल्पिक सामग्री की गुंजाइश की जांच करना और जहां तत्काल प्रतिस्थापन किया जा सके, फसल की सिफारिश करना तथा ऐसे क्षेत्रों की खोज करना जहां प्रतिस्थापन के लिए अधिक अनुसंधान तथा विकास कार्य करने की आवश्यकता है।

(5) प्रतिस्थापित पैकिंग पेटियों का प्रयोग शुरू करने से संबंधित शर्तों का पता लगाना तथा उपचारी उपायों का सुझाव देना।

4. कृतक बल की आवश्यकतानुसार समय-समय पर बैठक होगी और यह इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. कृतक बल के गैर-सरकारी सदस्य बैठकों में भाग लेने और समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार दौरे करने के लिए भारत सरकार के ग्रेड-1 के अधिकारी के समान यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सी० एल० भाटिया, वन महानिरीक्षक

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 1984

संकल्प

सं० ई०-11011/15/80-हिन्दी-1—ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 11 अप्रैल, 1983 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, भारत सरकार ने अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली को ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों/सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मन्त्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षण और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नरेन्द्र पाल सिंह, उप सचिव

ऊर्जा मन्त्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी, 1984

संकल्प

सं० 11/2/83—सी० एल०—राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग की समस्याओं और सम्भावनाओं में अधिकाधिक राष्ट्रीय भागीदारी की भावना उत्पन्न करने तथा साथ ही कोयला उद्योग के कार्य-कलाप में बेहतरी के लिए नए विचारों का समावेश सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार कोयला सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन करती है। इस परिषद का गठन पिछली बार 30 मार्च, 1979 को किया गया था।

2. पुनर्गठित कोयला सलाहकार परिषद की संरचना और कार्य निम्नलिखित रहेंगे :—

(क) संरचना;

अध्यक्ष

ऊर्जा मन्त्री

उपाध्यक्ष

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला राज्य मन्त्री

सदस्य

1. एक संसद सदस्य (लोक सभा)
2. एक संसद सदस्य (राज्य सभा)
3. सचिव, कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय
4. ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग का एक प्रतिनिधि
5. इस्पात एवं खान मंत्रालय के इस्पात/खान विभागों में से प्रत्येक विभाग से एक-एक प्रतिनिधि।
6. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
7. रेलवे बोर्ड, रेल मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि
8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि
9. तकनीकी विकास महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि
10. उर्वरक और रसायन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
11. कोयला नियन्त्रक
12. खान सुरक्षा महानिदेशक
13. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० का एक प्रतिनिधि
14. निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान
15. निदेशक, केन्द्रीय खनन अनुसन्धान संस्थान
16. निदेशक, भारतीय खान विद्यालय
17. निदेशक, क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद।
18. सदस्य, थर्मल, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
19. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
20. भारतीय खनन, भूतात्विक और धातुकर्मीय संस्थान का एक प्रतिनिधि।
21. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० का एक प्रतिनिधि।
22. सीमेंट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि।
23. फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का एक प्रतिनिधि।
24. कोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि।
25. फेडरेशन आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि।
26. एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का एक प्रतिनिधि।
27. आल इण्डिया ब्रिक एण्ड टाईल मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि।
28. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, कोल इण्डिया लि०।
29. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल कोल्ड फील्ड्स लि०।
30. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लि०।
31. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, वेस्टर्न कोल्ड्स फील्ड्स लि०।
32. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि०।
33. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०।
34. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०।
35. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि०।
36. अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, खनिज समन्वेषण निगम लि०।
37. पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि।
38. असम सरकार का एक प्रतिनिधि।
39. बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि।
40. मेघालय सरकार का एक प्रतिनिधि।
41. मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि।
42. आन्ध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि।
43. उड़ीसा सरकार का एक प्रतिनिधि।
44. महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि।
45. उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि।
46. गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि।
47. तमिलनाडु सरकार का एक प्रतिनिधि।
48. दिल्ली प्रशासन का एक प्रतिनिधि।
49. निदेशक/उप सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग।
50. तीन संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग।
51. वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग।
52. श्री ए० एम० बनर्जी, भूतपूर्व अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाईन संस्थान लि०।
53. श्री जे० जी० कुमारमंगलम्, भूतपूर्व अध्यक्ष, कोल इण्डिया लि०।
54. श्री आर० एन० शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, कोल इंडिया लि०।
55. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दो प्रतिनिधि।
56. आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक प्रतिनिधि।
57. सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधि।
58. हिन्द मजदूर सभा (बशिष्ठ ग्रुप) का एक प्रतिनिधि।
59. हिन्द मजदूर सभा (कुलकर्णी ग्रुप) का एक प्रतिनिधि।
60. भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि।

(ख) कार्य

कोयले से सम्बन्धित सभी मामलों पर और विशेषकर देश के कोयला समाधनों के उत्पादन, परिवहन, वितरण और उपयोग के लिए आयोजन से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को सलाह देना ।

(ग) कार्यकाल :

परिषद् का कार्य-काल यदि केन्द्रीय सरकार उसमें निश्चित वृद्धि न करें तो, 4 वर्ष रहेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प इनको प्रेषित किया जाए—सभी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मंत्रालय, प्रधान मन्त्री का कार्यालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, योजना आयोग, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, महानियन्त्रक भारतीय खान ब्यूरो, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता परमाणु ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग आदि ।

ल० ना० लड्ढा, संयुक्त सचिव

खेल विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 1984

संकल्प

विषय —एक भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना ।

सं० एफ० 1-1/83-एस० ए० आई०—जबकि नवें एशियाई खेल 1982 नवम्बर-दिसम्बर, 1982 के दौरान दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किये गये थे, और रिकार्ड समयावधि में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सम्बन्धी सुविधाओं और सम्बद्ध अवस्थापना स्थापित किये जाने के अतिरिक्त, देश ने मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताये आयोजित करने की अपनी निपुर्णता प्रदर्शित कर दी है ;

और जबकि नवें एशियाई खेलों का आयोजन खेल संचालन क्षेत्र में न केवल एक शानदार उपलब्धि ही थी अपितु यह इस बात का एक प्रमाण भी है कि आम जनता ने इसमें कितनी रुचि ली है और इससे देश के खेलों के प्रोत्साहन और विकास के लिये एक बहुत ही अच्छा वातावरण पैदा हो गया है ;

और जबकि देश में खेलों का बढ़ावा देने और खेलों के स्तर को बढ़ाने हेतु खेल अवस्थापना और एशियाड 1982 हेतु पैदा की गई सुविधाओं के उपयुक्त प्रबन्ध, रख-रखाव और उपयोग में लाये जाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है ;

और जबकि जीवन में सुधार लाने, उत्पादकता बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता और कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने के लिये युवकों का हितकारी स्थान प्रदान करने के लिये खेलों और शारीरिक स्वस्थता के महत्व पर विचार किया गया है ताकि राष्ट्र परिश्रम और उपलब्धि के उच्च स्तरों की ओर अग्रसर हो सकें;

(1) अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित संकल्प किया गया है ।

एक भारतीय खेल प्राधिकरण में होगा जिसका इस समय मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में होगा प्राधिकरण के निम्नलिखित लक्ष्य होंगे :—

(i) खेल तथा उससे सम्बन्धित तथा प्रासंगिक कार्यकलापों का विकास, बढ़ावा तथा उसके बाद भारत सरकार की खेलनीति को ध्यान में रखते हुए देश में खेल कूद के स्तर में सुधार करने तथा बढ़ावा देने के लिये योजनायें तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना;

(ii) समय-समय पर भारत सरकार तथा अन्य निकायों द्वारा देश में खेलकूद का स्तर ऊपर उठाने और खेलों को बढ़ावा देने से सम्बन्धित इसको सौंपी गई वर्तमान योजनाओं को जारी रखना और उनका कार्यान्वियन करना;

(iii) खेलकूद तथा उससे सम्बन्धित चिकित्सा, जीव यांत्रिक विज्ञान, मनोविज्ञान तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञान में अनुसन्धान और विकास को शुरू करना, संचालित करना प्रायोजित करना, अनुकरण करना तथा प्रोत्साहन देना;

(iv) दिल्ली और देश के अन्य भागों में खेल अवस्थापनाओं, खेल सुविधाओं, सहायक भवनों, खेल मैदानों, भूमि आदि से संबंधित योजना बनाना, उनका विकास करना, निर्माण करना, प्राप्त करना, अधिग्रहण करना, प्रबन्ध करना रखरखाव करना तथा उनका प्रयोग करना,

(v) खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों आदि के लिये आवासीय सुविधाओं की योजना बनाना, उनका विकास करना, उनका निर्माण करना, प्राप्त करना, अधिग्रहण करना, प्रबन्ध करना, रखरखाव करना और उनका प्रयोग करना चाहे ये दिल्ली में तथा देश के अन्य स्थानों में स्टेडियम के एक अंग के रूप में हों चाहे पृथक-पृथक रूप से हों ;

(vi) टूर्नामेंट्स, प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शनी मैचों और अन्य खेल कार्यकलापों का आयोजन करना, प्रायोजन करना, व्यवस्था करना और अपने आप प्रबन्ध करना और इससे सम्बन्धित सुविधायें प्रदान करना तथा खेलों तथा खिलाड़ियों के लाभ अथवा अन्यथा इन लक्ष्यों के आगे के हितों में समाज और संस्कृति तक ही जो सीमित न हो, सहित ऐसे उद्देश्यों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(vii) ऐसे संस्थानों का जो अस्तित्व में है अथवा नये है उनकी स्थापना करना, चलाना, प्रबन्ध करना और संचालन करना और ऐसे संस्थानों का समूचे या आंशिक रूप से कार्यकलापों और गतिविधियों का सम्पन्न करना,

(viii) खेलों के विकास के लिये भारत में सुविधाजनक स्थानों में केन्द्रों का गठन अथवा गठन सम्बंधी कारणों पर विचार करना;

(ix) देश में खेल उपस्कर अनुसन्धान को प्रारम्भ करना, प्रायोजित करना, और प्रोत्साहित करना परन्तु उसके साथ-साथ यह केवल मानक खेल उपस्करों के निर्माण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये,

(x) आयोजकों को भारत में हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, के आयोजन और संचालन में, तकनीकी तथा अन्य सहायता एवं खेल उपस्कर देना और खेल सुविधाओं और विशेषज्ञ मार्ग-दर्शन प्रदान करना;

(xi) विभिन्न खेलों में उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना;

(xii) खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों और ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिये कदम उठाना और सक्रिय, अनुभवी, सेवानिवृत्ति खिलाड़ियों अथवा अधिकारियों जिनमें प्रशिक्षक भी शामिल है, के लिये हितकारी योजनायें चलाना,

(xiii) राज्य सरकारों, राज्य खेल परिषदों, भारतीय औलम्पिक एसोसियेशन अथवा राष्ट्रीय खेल संघों अथवा ऐसे ही अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशनों अथवा निकायों के साथ, खेलों तथा अन्य सम्बद्ध विषयों से सम्बंधित मामलों में समन्वय, सहयोग और सम्पर्क स्थापित करना,

(xiv) खेल सुविधाओं के आयोजन और विकास के लिये और अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन और संचालन में भारत

में और विदेशों में परामर्शी सेवायें प्रदान करना और उन्हें विकसित करना;

(xv) खेल कूद के विकास और ऐसे खेल स्तरों में सुधार लाने जिन्हें भारत सरकार और अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकरण को भेजा जा सकता है और ऐसे अन्य खेल मामलों से जिनमें वह अपनी ओर से भारत सरकार के तथा अन्य ऐसे ही प्राधिकरणों को सिफारिशें करना चाहे, ऐसे सभी मामलों पर भारत सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह देना;

(xvi) खेल क्षेत्रों और इससे सम्बन्ध मामलों में संगोष्ठियां, सम्मेलन इत्यादि आयोजित करना

(xvii) खेल कूद से संबंधित पत्रिकाओं और साहित्य के प्रकाशन को शुरू करना, प्रायोजित और प्रोत्साहित करना;

(xviii) इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन में पुरस्कार, छात्रवृत्तियां और वजीफे देने की व्यवस्था शुरू करना;

(xix) दान, अनुदान और उपहार स्वीकार करना और किसी धर्मस्व अथवा नियास का प्रबन्ध प्रारम्भ करना और इन लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ दान, अनुदान और उपहार देना।

(xx) प्राधिकरण की चल और अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत अथवा बिना जमानत से राशि लेना तथा उधार लेना बशर्ते कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाती है।

(xxi) चल और अचल परिसम्पत्तियों की खरीद अथवा अन्यथा स्वामित्व प्राप्त करना अथवा पट्टे पर अथवा किराये पर लेना और ऐसी किसी भी चल और अचल परिसम्पत्ति को बेचना, गिरवी रखना, स्थानान्तरित करना अथवा अन्यथा निपटान करना; परन्तु ऐसी अचल परिसम्पत्तियों के बारे में भारत सरकार की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(xxii) ऐसी सभी कार्यवाई और कार्य करना जिसे प्राधिकरण उपर्युक्त लक्ष्यों अथवा उनमें से किसी एक के विस्तार अथवा प्रासंगिकता प्राप्त करने अथवा प्रेरणा के लिये अपेक्षित समझता है।

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत होगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(i) श्रीमती इन्द्रा गांधी 1, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
(ii) भारत सरकार के केन्द्रीय खेल प्रभारी मंत्री	पदेन उपाध्यक्ष
(iii) केन्द्रीय वित्त मंत्री	पदेन सदस्य
(iv) केन्द्रीय गृह मंत्री	पदेन सदस्य
(v) केन्द्रीय रक्षा मंत्री	पदेन सदस्य
(vi) केन्द्रीय रेल मंत्री	पदेन सदस्य
(vii) केन्द्रीय संचार मंत्री	पदेन सदस्य
(viii) केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री	पदेन सदस्य
(ix) केन्द्रीय शिक्षा मंत्री	पदेन सदस्य
(x) केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री	पदेन सदस्य
(xi) केन्द्रीय उद्योग मंत्री	पदेन सदस्य
(xii) राज्य सरकारों के पांच प्रभारी मंत्री जिन्हें बारी बारी से भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है।	सदस्यगण
(xiii) तीन संसद सदस्य—दो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा एक अध्यक्ष, राज्य सभा द्वारा मनोनीत	सदस्यगण
(xiv) उपराज्यपाल, दिल्ली	पदेन सदस्य
(xv) सचिव, खेल विभाग, भारत सरकार	पदेन सदस्य
(xvi) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से कम न होगा, उसे भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा और वह प्राधिकरण का वित्त सदस्य होगा	सदस्य
(xvii) अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन	पदेन सदस्य
(xviii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद	पदेन सदस्य
(xix) सचिव, भारतीय विश्व विद्यालय, एसोसियेशन	पदेन सदस्य
(xx) भारत सरकार द्वारा मनोनीत खेल उद्योग का एक एक प्रतिनिधि	सदस्य
(xxi) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(xxii) तीन खेल प्रवर्तक और भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाली एक महिला सहित विकास/आयोजन से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति	सदस्यगण
(xxiii) भारत सरकार द्वारा मनोनीत की जाने वाली एक महिला सहित तीन उत्कृष्ट खिलाड़ी	सदस्यगण
(xxiv) प्राधिकरण के महानिदेशक	पदेन सदस्य
(xxv) प्राधिकरण के सचिव	

अध्यक्ष प्राधिकरण की किसी भी बैठक के प्रयोजनार्थ बैठक की प्रमुख कार्यसूची को देखते हुए बैठक में बैठक होने से पहले अतिरिक्त सदस्यों को, जो दस से अधिक नहीं होने चाहिये, सहयोजित अथवा आमंत्रित कर सकता है।

(3) उपर्युक्त प्राधिकरण का प्रशासन और प्रबन्ध निम्नलिखित प्राधिकारियों के पास होगा:—

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) शासी निकाय

(घ) महा निदेशक

(ङ) सचिव

(च) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें भारत सरकार या प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया जाये।

(4) प्राधिकरण के शासी निकाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(i) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
(ii) प्राधिकरण के महानिदेशक	पदेन उपाध्यक्ष
(iii) प्राधिकरण के वित्त सदस्य	सदस्य
(iv) एफ० आई० सी० सी० आई० के प्रतिनिधि जो प्राधिकरण के सदस्य है	सदस्य
(v) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद	पदेन सदस्य
(vi) सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय एसोसियेशन	पदेन सदस्य
(vii) महासचिव, भारतीय ओलम्पिक एशोसियेशन	पदेन सदस्य
(viii) संयुक्त सचिव, खेल विभाग	पदेन सदस्य

(ix) संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय पदेन सदस्य

(x) निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला पदेन सदस्य

(xi) प्राधिकरण के सचिव पदेन सदस्य सचिव

शासी निकाय के अध्यक्ष समय-समय पर शासी निकाय की बैठकों में किसी विशेष बैठक की कार्यसूची को देखते हुए अतिरिक्त सदस्यों को जिनकी एक समय में 5 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिये, सहयोजित या आमंत्रित कर सकते हैं।

(5) प्राधिकरण के महा निदेशक, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होंगे, और प्राधिकरण के सचिव, जिन्हें भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जायेगा, प्राधिकरण के प्रमुख सचिव होंगे।

(6) प्राधिकरण के साथ-साथ इसके अभिशासी निकाय के सदस्यों का कार्यकाल, पदेन सदस्यों को छोड़कर, सामान्यतः 3 वर्ष का होगा।

(7) प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के किसी समय अध्यक्ष न रहने की स्थिति में केवल भारत सरकार को ही अधिकार होगा कि प्राधिकरण के नये अध्यक्ष को उनके द्वारा निर्धारित की गई ऐसी सेवा शर्तों तथा ऐसी समयावधि के लिये नामांकित करें।

(8) प्राधिकरण, अपने कार्यकरण के संचालन, और अपने कार्यों के प्रबन्ध के लिये नियम और विनियम बनायेगा। बशर्ते कि भारत सरकार की अनुमति हो।

(9) भारतीय खेल प्राधिकरण "घाटा पूरा करो" के आधार पर भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषण किया जायेगा और इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में धनराशि प्रदान की जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये और सभी संबंधितों को इस सम्बन्ध में सूचित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासकों को भेज दी जाये।

बी० सी० माथुर, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th January 1984

No. 11-Pres./84.—The President is pleased to institute special medals for the civil and military personnel for recognition of distinguished and meritorious services rendered for the successful organisation of IX Asian Games 1982 and in this behalf to make, ordain and establish the following ordinances which shall be deemed to have effect from the date of issue of this notification :

ASIAD VISHISHT JYOTI AND ASIAD JYOTI
ASIAD VISHISHT JYOTI

Firstly—The medal shall be styled and designated 'एशियाई विशिष्ट ज्योति' 'Asiad Vishisht Jyoti'

Secondly—The medal shall be circular in shape made of gold, 3 millimeter in thickness and 35 millimeter in diameter. It shall have embossed on its obverse the IX Asiad symbol in the centre and the inscription नवम एशियाई खेल 1982 at the top along the rim and IX Asian Games 1982 below it along the rim. On its reverse it shall have the Asiad torch in the centre and the inscription एशियाड विशिष्ट ज्योति on the top along the rim and Asiad Vishisht Jyoti at the bottom along the rim. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept.

Thirdly—The medal shall be suspended from the left breast by a green coloured (IX Asiad green colour) silk rib and 32 mm in width.

Fourthly—The medal shall be awarded for distinguished and meritorious services for the successful organisation and conduct of IX Asian Games 1982.

Fifthly—The medal may be awarded posthumously.

Sixthly—The names of those persons on whom the decoration may be conferred shall be published in the Gazette of India and a register thereof maintained under the directions of the President.

Seventhly—The decoration shall be conferred by the President of India.

Eighthly—Persons of either sex shall be eligible for this medal.

Ninthly—The President may cancel and annul the award of the medal to any person and thereupon the name of such recipient in the Register shall be erased and the recipient shall be required to surrender the insignia; but it shall be competent for the President to restore the decoration subsequently when such cancellation and annulment has been withdrawn.

Tenthly—The notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Eleventhly—It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out the purpose of these ordinances.

ASIAD JYOTI

Firstly—The medal shall be styled and designated 'एशियाड ज्योति' 'Asiad Jyoti'.

Secondly—The medal shall be circular in shape made of standard silver, 3 millimeter in thickness and 35 millimeter in diameter. It shall have embossed on its obverse the IX Asiad symbol in the centre and the inscription नवम एशियाई खेल 1982 at the top alon rim and 'IX Asian Games 1982' below it along the rim. On its reverse it shall have the Asiad torch in the centre and the inscription एशियाड ज्योति on the top along the rim and Asiad Jyoti at the bottom along the rim. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept.

Thirdly—The medal shall be suspended from the left breast by a green coloured (IX Asiad green colour) silk riband 32 mm in width.

Fourthly—The medal shall be awarded for meritorious service for the successful organisation and conduct of IX Asian Games 1982.

Fifthly—The medal may be awarded posthumously.

Sixthly—The names of those persons on whom the decoration may be conferred shall be published in the Gazette of India and a register thereof maintained under the directions of the President.

Seventhly—The decoration shall be conferred by the President of India.

Eightly—Persons of either sex shall be eligible for this medal.

Ninthly—The President may cancel and annul the award of the medal to any person and thereupon the name of such recipient in the Register shall be erased and the recipient shall be required to surrender the insignia; but it shall be competent for the President to restore the decoration subsequently when such cancellation and annulment has been withdrawn.

Tenthly—The notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Eleventhly—It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out the purpose of these ordinances.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th January 1984

No. 13019/3/83-GP. II.—In partial modification this Ministry's notification of even number dated 9-7-83 the President is pleased to appoint Shri T. L. Satija, President of Shiv Mandir Sabha, Chandigarh as a Member of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Chandigarh for the peroid up to 31-3-1984.

BALESHWAR RAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th February, 1984

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-5/84—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 [Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India (Extra-ordinary), dated the 25 August, 1971], the Central Government hereby makes the following additions in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-17/83, dated the 1st June, 1983 :—

Below Sub-serial No. 1208, the following shall be added, namely :—

SS No.	Description of goods	Rate of Drawback
1209	(i) Gripe Water (ii) Gelatine Capsules (iii) Surgical Spirit (iv) Ether Anesthetic B.P (v) Sesame oil B.P. (vi) Strychine Alkaloid	Rates to be announced later on.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1983.

No. DRAWBACK/PN-6/84—Under the Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 [Notifiction No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India (Extra ordinary), dated the 25th August, 1971], the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-17/83, dated the 1st June, 1983

For Sub-serial Nos. 2506 (a), 2506 (b) and 2631 and entries relating thereto, the following shall be substantuted, namely :

SS No.	Description of goods	Rate of Drawback	Allocation	
			Cus.	C. Ex.
			Rs.	Rs.
2506	(a) Viscose Tyre yarn/twine	Rs. 6·20 (Rupee Six & Paise Twenty) per Kg.	5·75	0·45
	(b) Viscose tyre cord/twine	Rs. 9·30 (Rupees Nine & Paise Thirty only) per Kg.	5·75	3·55
2631	Viscose tyre fabric warp sheet	Rs. 9·30'(Rupees Nine and Paise Thirty only). per Kg.	5·75	3·55

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1983.

No. DRAWBACK/PN-7/84—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawbac Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India (Extra ordinary) , dated the 25th August, 1971], the Central Government hereby make the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-17/83, dated the 1st June, 1983 :

For Sub serial No. 102 and the entries relating thereto the following shall be substituted :

SS No.	Description of goods	Rate of Drawback	Allocation
102	Tea bags filled with tea, with or without Aluminium wire.	Rs. 86·00 (Rupees Eighty-Six only) per Kg. of filter Paper (Porous Paper) content.	All Customs.

The Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1983.

Z. B. NAGARKAR, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi, the 3rd February, 1984.

AMENDMENT

No. P-II/Disp./Spl. Cell/ A' Veh—The following amendments may please be made in the Resolution of even No. dated 3-1-1984 regarding formation of a High Powered Committee on Desposals for disposal of War-like Defence Surplus Stores :—

or

Para 1 *Item No.* 5

A representative officer from Air Force in the rank of Air Commodore.

Read

A representative officer from Air Force in the rank of Air Vice Marshal.

2. All other terms and conditions will remain the same.

ORDER

ORDERED that the above amendment to the Resolution published in the Gazette of India.

P. S. HARIHARAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th January 1984

RESOLUTIONS

No. DA-II/7(21)/83-Const./107.—Government of India have decided to constitute the Development Panel on Fire Fighting Equipment Industry. The following will be the constitution of the Panel :

CHAIRMAN

1. Shri R. N. Basu,
Industrial Adviser,
Directorate General of Technical Development
Udyog Bhavan, New Delhi.

MEMBERS

2. Representative of the Administrative Ministry.
3. Representative of the Bureau of public Enterprises.
4. Representative of Indian Standards Institution
5. Representative of Central Building Research Institute, Roorkee.
6. Representative of Defence Institute of Fire Research, Delhi.
7. Shri G. B. Menon,
Fire Adviser, Ministry of Home Affairs,
(Representative of Director General, Civil Defence).
8. Shri Mahender. Prasad,
Fire Adviser, Ministry of Defence.
9. President, Indian Fire Protection Engineers Association, Bombay.

10. Managing Director,
M/s Kooverji Devshi & Co. Pvt. Ltd., Bombay

11. Managing Director,
M/s Mather &platt(I) Ltd., Bombay

12. Managing Director,
M/s Brijbasi Udyog Ltd., New Delhi

13. Managing Director,
Vijay Machinery Stores Ltd., Bombay

14. Representative of Electronics
Corporation of India Ltd., Hyderabad.

15. Representative of Directorate General of
Civil Aviation.

16. Representative of Indian Oil Corporation.

17. Representative of Mazagaon Docks Ltd.

MEMBER-SECRETARY

18 Shri Sushil Kumar,
Director, Directorate General of
Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi

2. Terms of refrence of the Panel are :—

1. To review the present status of the industry, perspectives for its future growth, estimate the demand and recommend steps to cover gaps.

2. To evaluate the status of technology, identify gaps and suggest measures for upgrading the same to bring it upto the desired level and to suggest measures for modernisation.

3 To suggest measures of import substitution of the product, its raw materials and components.

4. To suggest measures towards usage of proper fire fighting equipment by all the sectors.

5. Any other aspects which the panel deems important in the interest of the growth and development of the industry.

3 The term of the panal will be two years.

4. The Panel would submit its report on various points of reference from time to time and atleast once a year.

5. ORDERED that a copy of the Resolution to communicated to all concerned.

6 ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 19th January 1984

No. Ind. Expl/9(2)/83.—Government of India have decided to form the Developmental Panel for Industrial Explosives with the following composition for the period of two years from the date of issue of this Resolution :—

CHAIRMAN

1. Shri N. Biswas,
Dy. Director General(DGTD),
New Delhi-110001

MEMBERS

2 Shri S. Ganespandian,
Deputy Secretary,
Deptt. of ID, New Delhi-1

3. Representative from Planning
Commission, Government of India

4. Dr. N. S. Bankar,
Explosives Research & Development
Laboratory, Poosa (Ministry of
Defence).

5. Shri B. R. Dave,
Chief Controller of Explosives,
Nagpur

6 Representative from M/s IDL
Chemicals Ltd., Hyderabad

7. Representative from M/s. IBP
Company Limited, New Delhi

8. Representative from M/s. Indian
Explosives Limited, Gomia (Bihar)

9 Representative from M/s. Coal
India Limited, Calcutta

10. Representative from Ministry of
Works and Housing, Nirman Bhavan,
New Delhi.

11 Representative from Director
General of Mines Safety, Dhanbad

12 Representative from M/s. Fertilizer
Corporation of India, Sindri (Distt. Dhanbad)

MEMBER-SECRETRAY

13. Shri B. Minj, Additional Industrial
Adviser, DGTD, New Delhi.

2. Terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To review the present status of the industry, respectives for its future growth, estimate the demand and recommend steps to cover gaps.

(ii) (a) To evaluate the status of technology and suggest measure for upgarding the same to bring it up to the desired level, and to suggest measures for modernisation.

(b) To consider the level of development and suggest measures for development of design/processes, as applicable.

(iii) To advise on norms for material and energy consumption, steps for reduction in the same and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity.

(iv) To advise on the economic and desirable scales of production for different sectors of the industry.

(v) To suggest measures for import substitution of the product, its raw materials, and components.

(vi) To advise on steps for export generation.

(vii) To advise on pattern of regional development and growth of the industry, taking into account the sources of supply of raw materials and areas of consumption.

(viii) Any other aspects which the panel deems important in the interest of the growth and development of the industry

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S D CHATURVEDI, Director (Administration)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

New Delhi 110011, the 16th January 1984

RESOLUTION

No. A. 43012/1/84-Adm.I.—With a view to advise the Department of Environment in its work and to provide representation to a wide spectrum of public concern in the field of the environment, the Government of India have decided to constitute the National Environmental Advisory Committee (Rashtriya Parvavaran Salahkar Samiti).

2. The following shall be the composition of the Committee :

CHAIRMAN

Minister of State for Science & Technology, New Delhi.

VICE-CHAIRMAN

Deputy Minister for Environment, New Delhi.

MEMBERS

1. Shri Anil Agarwal
Director
Centre for Science and Environment
807, Vishal Bhawan
95, Nehru Place
New Delhi-110019

2. Dr. Ashok Khosla
President
Development Alternatives
22, Palam Marg
Vasant Vihar
New Delhi-110 057

3. Dr. Desh Bandu
President
Indian Environmental Society
8, Darya Ganj
New Delhi-110 002

4. Shri Sunder Lal Bahuguna
Pravatiya Navjivan Mandal
P.O. Silyara,
Tehri Garhwal

5. Shri Haresh Vardhan
General Secretary
Tourism and Wildlife Society of India
C-158, Dayanand Marg
Tilak Nagar
Jaipur-302005

6. Shri Duleep Matthai
23-A,Sterling Apartments
38, Deshmukh Road
Bombay-400026

7. Dr. Salim Ali
Bombay Natural History Society
Bombay.

8. Shri T. R. Sarnathan
Society for Clean Environment (SOCLEEN)
Garden Resort,
606, Sion Trombay Road,
Bombay.

9. Shri M. K. Dalvi,
Ex- IGF.
4,Satyam Apartment
Kasturba Nagar
Arunddyar Society
Vadodara-390 005.

10. Shri Arvind Netam, MP
P.O. Kanker,
Distt. Bastar (MP).

11. Shri Zafar Futehally
Dodda Gubbi Post
Via Vidyanagar
Bangalore-562134.

12. Shri M. Y. Ghorpade,
The Palace
SANDUR
Ballary District
Karnataka.

13. Dr. Madhav Gadgil
Indian Institute of Science
Bangalore.

14. Prof. B. Ramachandra Rao, MP
Vice-Chancellor
Tirupati University
Tirupati.

15 Prof. M. K. Prasad
Chairman
Health and Environment Brigade
Parishal Bhawan
Chairakkulam Road,
Trivandrum-659 001.

16. Shri Hari Dang
Principal
St. Paul's School
Darjeeling (West Bengal)

17 Prof A K Sharma,
Botany Department,
College of Sciences
University of Calcutta,
Calcutta

18 Shri A. Misra
Secretary,
Orissa Environmental Consciousness Society,
C/o School of Life Sciences
Burla-768 577 (Orissa).

19. Shri Prem Shankar Jha
Times of India
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110 002

20. Shri F. S. Thangam, IFS (Retd.)
C/o Arunachal Forest Corporation
P.O. Deomali
Via Naharkatiya.
(Upper Assam).

MEMBER-SECRETARY

Secretary
Department of Environment
New Delhi.

3. The following will be the terms of reference of the Committee :

(i) To highlight environmental issues and give advice on remedial action;

(ii) To raise public discussion on national issues of environmental significance.

(iii) To promote public commitment and participation in environmental programmes; and

(iv) To provide feedback on people's perception of national environmental priorities and action plans.

The recommendations of the Committee shall be advisory in nature and will be made to the Department of Environment.

....

4. The Committee will be serviced by the Department of Environment.

5. The Members of the Committee shall be entitled for travelling and Daily Allowance as per the Government of India rules.

6. The term of the Committee will be for a period of two years commencing from 16 January, 1984.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Vice-Chairman and all other members of the National Environmental Advisory Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

T. N. KHOSHOOL, Secy.

MINISTRY OF HEALTH & F.W.

New Delhi, the 16th January 1984

RESOLUTION

No. X.19014/2/83-DMS & PFA.—In supersession of this Ministry's Resolution of even number dated 27th October 1983, the Government of India reconstituted the India Pharmacopoeia Committee in the year 1978 *vide* Resolution No. X.19014/1/77-D&MS, dated 30th June 1978 for undertaking the compilation of the third edition of the Indian Pharmacopoeia. The tenure of the office of the members of the Committee which was for a period of five years expired on 30th June 1983. The Government of India have decided to reconstitute the Indian Pharmacopoeia Committee with the following as members for a term of five years for the

purpose of compilation of the Supplement to the Third Edition of the Indian Pharmacopoeia :—

CHAIRMAN

1. Dr. Nitya Nand,
Director,
Central Drugs Research Institute,
Lucknow.

MEMBERS

2. Dr. P. L. Sharma,
Prof. of Pharmacology.
Post-Graduate Institute of Medical Education and Research,
Chandigarh.

3. Dr. B. M. Hegde,
Prof. of Medicine,
Kasturba Medical College,
Mangalore-575001.

4. Dr. R. D. Kulkarni,
Prof. of Pharmacology,
J.J. Group of Hospitals.
Bombay.

5. Dr. J. S. Guleria,
Professor & Head, Department of Medicine,
All India Institute of Medical Sciences,
Ansari Nagar, New Delhi-110 029.

6. Commissioner,
Food and Drugs Control Administration.
Maharashtra State,
Bombay.

7. Director,
Food and Drugs Control Administration,
Gujarat State,
Ahmedabad.

8. Drugs Controller,
Karnataka,
Bangalore.

9. Shri R. S. Iyer,
Director, Corporate and Quality Assurance.
M/s Glaxo Laboratories (India) Ltd.,
Bombay.

10. Dr. G. Ramana Rao,
Chief, Quality Control Department,
Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.,
Hyderabad.

11. Dr. Parvinder Singh,
Joint Managing Director,
M/s Ranbaxy Laboratories Ltd.,
New Delhi.

12. Director,
Central Drugs Laboratory,
Calcutta.

13. Director,
Central Research Institute, Kasauli.

14. Director,
Central Indian Pharacopoeia Laboratory,
Raj Nagar, Ghaziabad.

15. Drugs Controller (India),
Directorate General of Health Services, New Delhi.

2. The Chairman of the Committee will have the power to form Sub-Committees, whenever required and also to co-opt experts from outside on such Sub-Committees.

3. The Committee will have the power to frame its own rule of procedure.

4. The members will not be paid any remuneration but will be entitled to travelling allowance for attending the meeting in accordance with Government Rules.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Government of India, Directorate General of Health Services, New Delhi and all the Members of the Indian Pharmacopoeia Committee,

ORDERED that a copy of the Resoluion be sent to the Manager Government of India Press Faridabad for publication in the Gazette of India for general information.

SHIV DAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPT. OF AGRI. & COOPN.)

New Delhi, the 13th January 1984

RESOLUTIONS

No. 37-57/83-LD/II.—It has bee dnecided by the Government of India constitute a management committee for the Regional station forage production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm. The constitution of the Management Committee will be as under :—

Chairman

1. Shri P. S. Kohli, Additional Secretary, Deptt. of Agriculture and Cooperation.

Members

2. Dr. O. N. Singh, Animal Husbandry Commissioner, Deptt. of Agri. & Coopn.

3. Shri M. Y. Priolkar, Joint Secretary and Financial Adviser, Department of Agriculture and Co-operation.

4. Director of the Regional Stations for Forage Production and Demonstration & Central Fodder Seed Production Farm.

Member-Secretary ..

5. Joint Commissioner/Deputy Commissioner concerned in the Deptt. of Agriculture and Cooperation.

The Management Committee shall perform the functions and exercise the powers given below :—

(a) consider and approve all policy matters, lay down priorities and introduce changes necessary to meet the requirements of the scheme;

(b) review progress of implementation of the programme of works of the Stations; ;

(c) consider and approve changes in the annual programmes involving substantial re-allocation of funds in relation to the approved programme subject to restrictions on powers of re-appropiration;

(d) consider and recommend policies regarding all matters pertaining to personnel management;

(e) The Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to the schemes;

(f) The Management Committee shal evercise all the powers delegated to the Ministries of the Central Government under Rule 13(2) of the Delegation of Financial Powers Rules. 1978 as per the provisions of the said Rules. This delegation will not cover the following powers :—

(i) creation of posts;

(ii) Write off of losses; and

(iii) re-appropriation of funds exceeding 10% of the original budget provision.

The Management Committee may meet twice a year and even more frequently, if necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, All Ministries/Departments of Government of India., Cabinet Secretary, Prime Minister's Secretariat the President's Secretariat, the Planning Commission the Comptroller and Auditor General of India the Accountant General Central Revenues the Director of Commercial Audit the Indian Council of Agriculture Research and Director General Shipping.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 37-58/83 LD II.—It has been decided by the Government of India to constitute a Management Committee for the Central Poultry Breeding Farm and the Central Duck Breeding Farm. The constitution of the Management Committee will be as under :—

CHAIRMAN

1. Shri P. S. Kohli Additional Secretary Deptt.of Agriculture & Co-operation

MEMBERS

2. Dr. O. N. Cingh, Animal Husbandry Commissioner, Deptt. of Agri & Coopn.
3. Shri M. Y. Priolkar, Joint, Secretary & Financial Deptt. of Agri. & Co-operation.
4. Directors of the central Popultry Breeding Farms and Central Duck Breeding Farm.

MEMBER-SECRETARY

5. Joint Commissioner (P), Department of Agriculture and Co-operation.

The Management Committee shall perform the functions and exercise the powers given below:

(a) consider and approve all policy matters, lay down priorities and introduce changes necessary to meet the requirements of the scheme;

(b) review progress of implementation of the programme of works of the farms:

(c) consider and approve changes in the annual programmes involving substantial re-allocation of funds in relation to the approved programme subject to restrictions on powers of re-appropriation;

(d) consider and recommend policies regarding all matters pertaining to personnel management;

(e) the Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to the scheme;

(f) the Management Committee shall exercise all the powers delegated to the Ministries of the Central Government under Rule 13(2) of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 as per the provisions of the said Rules. This delegation will not cover the following powers:—

(i) write of losses; and

(ii) write of losses; and

(iii) re-appropriation of funds exceeding 10% of the original budget provision.

The Management Committee may meet twice a year and even more frequently, if necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, All Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the Presidents Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenue, the Director of Commercial Audit, the Indian Council of Agricultural Research and Director General Shipping.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazzette of India for general information.

P. S. KOHLI, Addl. Secy.

New Delhi the 27th December 1983

RESOLUTION

No. 2-6/83-FRY/FIPC.—With the increased production of apples and other kinds of fruits in the country, there has been heavy demand for packaging which has in turn resulted in denudation of forests at faste rate. To meet the demand of packaging of fruits, etc., it is necessary to develop alternative packaging material. The question of reducing the use of wood for packaging of fruit, etc, has been under consideration of this Ministry. It has now been decided to constitute a Task Force to go into the problems of substitution or reducing the use of wood by alternative packaging systems.

2. The composition of the Task Force will be as under:—

CHAIRMAN

(1) President, Forest Research Instt. and Colleges, P.O., New Forests, Dehra Dun.

MEMBERS

(2) Dr. A. K. Misra, Director (Horticulture), Ministry of Agriculture, (Deptt. of Agri. & Coopn.), New Delhi.

(3) Director of Horticulture, Himachal Pradesh, Nanbahar, Simla-2.

(4) Shri S. S. Chandan, Executive Director, NAFED, New Delhi.

(5) Shri G. S. Shukla, Agriculture Marketing Adviser, Ministry of Rural Reconstruction, New Delhi.

(6) Director of Horticulture, Andhra Pradesh, Hyderabad.

(7) General Manager, North Eastern Regional Marketing & Processing Corporation, Gauhati.

(8) Shri U. S. Kang, Former Adviser Planning Commission, C/o Village, Ladwa, Via Radaur, Distt., Kurukshetra (Haryana).

(9) Shri M. M. Arve, Director, Maharashtra Rajya Draksha Bagaitdar Sangh, Draksha Bhagwan, E/4, Market Yard, Gultakdi, Pune-411037.

(10) Shri Jagadish Kodesia, Member Standing Committee, Bharat Krishak Samaj, 6-8, Regal Building, Connaught Place, New Delhi.

(11) Managing Director, Himachal Pradesh Forest Development Corporation, Simla.

(12) Managing Director, Uttar Pradesh Forest Development Corporation, Lucknow.

(13) Chief Conservator of Forests, Maharashtra State, Central Building, Pune-1.

(14) Shri A. Krishnaswamy, Retired Director of Horticulture, C/o Chief Conservator of Forests, Karnataka State, Bangalore.

(15) Dr. C. Majhi, Asstt. Director, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi.

MEMBER SECRETARY

(16) Deputy Inspector General of Forests (General), Deptt. of Agriculture & Coopn. New Delhi.

3. The terms of reference of the Task Force would be as under :

(1) To work out the requirement of packing cases for different categories of fruits and vegetables.

(2) To assess the present and future availability of wood for packing cases.

(3) To assess the present and future demand of wood for packaging industry and its impact on forest resources.

(4) To examine the existing status of substitute cases and the scope of other alternate material in respect of different categories of horticultural crops and recommend crop where substitute can be introduced immediately as also identify areas where more research and development work is required for substitution.

(5) To identify the terms connected with the introduction of substitute packing cases and suggest remedial measures.

4. The Task Force would meet as often as necessary and shall submit its report within a period of three months from the date of issue of this Resolution.

5. Non-official members of the Task Force would be entitled to TA/DA like Grade-I officer of the Govt. of India for attending meetings and for undertaking tours in accordance with the orders issued from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. L. BHATIA
Inspector General of Forests

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 11th January 1984

RESOLUTION

No. E.11011/15/80-Hindi.—In continuation of Ministry of Rural Development's Resolution of even number dated the 11-4-1983, the Government of India have decided to nominate Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi as ex-officio member of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Rural Development.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. P. SINGH
Dy. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 17th January 1984

RESOLUTION

No. 11/2/83-CL.—To generate a greater sense of national involvement in the problems and prospects of the nationalised Coal industry and also to devise a mechanism to ensure a smooth flow of fresh ideas to improve its functioning, the Government of India reconstitutes the Coal Advisory Council which was last constituted on 30th March 1979.

2. The composition and functions of the coal Advisory Council as reconstituted will be as follows:—

(a) COMPOSITION

CHAIRMAN

Minister of Energy.

VICE CHAIRMAN

Minister of State for Coal in the Ministry of Energy.

MEMBERS

1. One Member of Parliament (Lok Sabha).
2. One Member of Parliament (Rajya Sabha).
3. Secretary, Department of coal in the Ministry of Energy
4. One representative of the Department of power in the Ministry of Energy
5. One representative each of the Department of steel/Mines in the Ministry of Steel & Mines.
6. One representative of the Planning Commission
7. One representative of the Railway Board, Ministry of Railways.
8. One representative of the Department of Science & Technology.
9. One representative of the Directorate General of Technical Development.
10. One representative of the Ministry of Fertilizers & Chemicals.
11. The Coal Controller
12. The Director General of Mines Safety.
13. One representative of Steel Authority of India Ltd.,
14. The Director, Central Fuel Research Institute.
15. The Director, Central Mining Research Station.
16. The Director, Indian School of Mines.
17. The Director Regional Research Laboratory, Hyderabad
18. Member Thermal, Central Electricity Authority.
19. Director General, Geological Survey of India.
20. One representative of Mining, Geological & Mettallurgical Institute of India.
21. One representative of Tata Iron & Steel Co., Ltd.,
22. One representative of Cement Manufacturers Association of India.
23. One representative of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry.
24. One representative of the Coal Consumers Association of India.
25. One representative of Federation of Small Scale Industries of India.
26. One representative of Associated Chambers of Commerce & Industry.
27. One representative of All India Brick & Tile Manufacturers Association.
28. The Chairman/Managing Director, Coal India Ltd.,
29. The Chairman/Managing Director, Central Coal Fields Ltd.,
30. The Chairman/Managing Director, Eastern Coalfields Ltd.,
31. The Chairman/Managing Director, Western Coalfields Ltd.
32. The Chairman/Managing Director, Bharat Coking Coal Ltd.,
33. The Chairman/Managing Director, Singarni Collieries Ltd.,
34. The Chairman/Managing Director, Central Mine Planning & Design Institute Ltd.,
35. The Chairman/Managing Director, Neyveli Lignite Corporation Ltd.,
36. The Chairman/Managing Director, Mineral Exploration Corporation Ltd.
37. One representative of Government of West Bengal.
38. One representative of Government of Assam.
39. One representative of Government of Bihar.
40. One representative of Govenrment of Meghalya.
41. One representative of Government of Madhya Pradesh.
42. One representative of Government of Andhra Pradesh.

43. One representative of Government of Orissa.
44. One representative of Government of Maharashtra.
45. One representative of Government of Uttar Pradesh.
46. One representative of Government of Gujarat.
47. One representative of Government of Tamil Nadu.
48. One representative of Delhi Administration.
49. Director/Deputy Secretary, Department of Coal in the Ministry of Energy.
50. Three Joint Secretaries, Department of Coal, in the Ministry of Energy.
51. Financial Adviser, Department of Coal, in the Ministry of Energy.
52. Shri A. N. Banerjee, former Chairman/Managing Director of Central Mine Planning & Design Institute.
53. Shri J. G. Kumaramangalam, former Chairman, Coal India Ltd.
54. Shri R. N. Sharma, former Chairman, Coal India Ltd.
55. Two representatives of Indian National Trade Union Congress.
56. One representative of All India Trade Union Congress.
57. One representative of Centre of Indian Trade Unions.
58. One representative of Hind Mazdoor Sabha (Vashist Group).
59. One representative of Hind Mazdoor Sabha (Kulkarni Group).
60. One representative of Bharatiya Mazdoor Sangh.

(b) *FUNCTIONS*

To advise the Government in regard to all matters on coal and in particular to problems pertaining to planning for the production, transportation, distribution and utilisation of the coal resources of the country.

(c) *TENURE*

The tenure of the Council will be 4 years unless specifically exeended by the Central Government.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, Controller-General, Indian Bureau of Mines, Director General, Geological Survey of India, Calcutta, Department of Atomic Energy, Department of Environment etc.

L. N. LADDHA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPORTS

New Delhi, the 25th January 1984

RESOLUTION

Subject: Establishment of a Sports Authority of India.

No. F.1-1/83-SAI.—

WHEREAS the IX Asian Games, 1982 were successfully organised and held in Delhi during November-December 1982 and apart from the setting up of sports facilities and related infrastructure of international standard in record time, the country demonstrated its ability for organising major international sports events;

AND WHEREAS the holding of IX Asian Games was not only a spectacular achievement in the field of conduct of games but also an evidence of the keen interest taken by the general public which has created an excellent climate for encouragement and development of sports in the country;

AND WHEREAS, considering the need for the proper management, maintenance and utilization of the sports infrastructure and facilities created for Asiad 1982 for the promotion of sports and for raising the standard of sports in the country;

AND WHEREAS, considering the importance of sports and physical fitness for improving the way of life, increasing productivity, for national integration, for providing beneficial avenue to the youth to strive towards excellence in all spheres of activity so that the nation will rise to higher levels of endeavour and achievement;

(1) IT IS THEREFORE HEREBY RESOLVED AS FOLLOWS:

"There shall be a Sports Authority of India with its headquarters at present at the Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi. The Authority shall have the following objects:—

(i) to promote and develop sports and activities relating and incidental thereto and draw up and implement plans for the promotion of sports improvement of standards in the country in sports and games in keeping with the sports policy of the Government of India;

(ii) to implement and carry out the existing schemes for the promotion of sports an for improvement of standards in the country in sports and games as may be entrusted to it by the Government of India or other bodies from time to time;

(iii) to initiate, undertake, sponsor, simulate and encourage research and development in sports and games and the related medicine, bio-mechanics, psychology and other allied sciences;

(iv) to plan, develop, construct, acquire, take over, manage, maintain, and utilise sports infrastructure, sports facilities, ancillary buildings, play fields, lands, etc. in Delhi and other parts of the country;

(v) to plan, develop, construct, acquire, take over, manage, maintain and utilise residential facilities for sportspersons, coaches, officials, etc., whether as part of the stadia or separately, in Delhi and other places in the country;

(vi) to hold, sponsor, organise, manage and arrange on its own, and to offer facilities for, tournaments, coaching camps, exhibition matches and other sports activities and purposes including but not limited to social and cultural activities, in the interests of sports or benefits of sportspersons or otherwise in furtherance of these objects;

(vii) to establish, run, manage and administer institutions existing or new and to perform the activities and functions of such institutions wholly or partially;

(viii) to constitute or cause to be constituted centres at convenient places in India to promote sports;

(ix) to initiate, sponsor and encourage research in sports equipment in the country including but not limited to, the manufacture of standard sports equipment;

(x) to provide and give technical and other assistance, sports equipments, sports facilities and expert guidance to organisers for the organisation and conduct of national and international tournaments held in India;

(xi) to provide for education, training and facilities for imparting advanced coaching in various games and sports;

(xii) to take steps for the welfare of sportspersons, sports officials and the like and to run benevolent schemes for active, veteran and retired sportspersons or officials, including coaches;

(xiii) to coordinate and to cooperate and liaise with State Governments, State Sports Councils, Indian Olympic Association or National Sports Federations or other similar national or international associations or bodies in matters relating to sports and games and other allied subjects;

(xiv) to develop and provide consultancy services in India and abroad for the planning and development of sports facilities and in the organisation and conduct of international championships;

(xv) to advise Government of India, State Governments, Union Territory Administrations on all matters relating to promotion of sports and games and improvement of sports standards which may be referred to it by the Government of India and other authorities as well as on other sports matters on which it may like to make recommendations on its own to Government of India and the other such authorities;

(xvi) to organise seminars, conferences etc. in the field of sports and allied matters;

(xvii) to undertake, sponsor and encourage publication of journals and literature relating to sports and games;

(xviii) to institute offer and grant prizes awards scholar ships and stipends in the implementation of these objects;

(xix) to accept and collect donations, grants and gifts and to undertake management of any endowment or trust fund and to make donations, grants and gifts for the purposes of these objects;

(xx) to borrow and raise moneys with or without security or on security of moveable and immoveable properties belonging to the Authority provided that prior approval of the Government of India is obtained in that behalf;

(xxi) to acquire, purchase or otherwise own or take on lease or hire immoveable and moveable properties and to sell, mortgage, transfer or otherwise dispose of any such immoveable and moveable properties but the prior approval of the Government of India, in respect of such immoveable property, shall be obtained; and

(xxii) to do all such acts and things as the Authority may conside necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any one of them.

(2) The Sports Authority of India will be registered as a Society under the Societies Registration Act of 1860 and shall comprise the following :

President

(i) Smt. Indira Gandhi,
1, Safdarjang Road,
New Delhi.

Ex-officio Vice-President

(ii) Union Minister in charge of Sports in the Govt. of India.

Ex-officio Members

(iii) Union Minister of Finance.

(iv) Union Minister of Home Affairs.

(v) Union Minister of Defence.

(vi) Union Minister of Railways.

(vii) Union Minister of Communications.

(viii) Union Minister of Works & Housing.

(ix) Union Minister of Education.

(x) Union Minister of Information and Broadcasting.

(xi) Union Minister of Industry.

Member

(xii) Five Ministers in charge of Sports in State Governments to be nominated by rotation by the Govt. of India.

(xiii) Three Members of Parliament-two nominated by Speaker, Lok Sabha and one nominated by Chairman, Rajya Sabha.

Ex-Officio members

(xiv) Lieutenant Governor, Delhi.

(xv) Secretary, Department of Sports, Govt. of India.

Member

(xvi) An officer not below the rank of Joint Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure to be nominated by the Govt. of India who will be Member-Finance of Authority.

Ex-Officio members

(xvii) President, Indian Olympic Association.

(xviii) Director, National Council of Educational Research & Training.

(xix) Secretary, Association of Indian Universities.

Member

(xx) One representative of the Sports Inudstry to be nominated by the Govt. of India.

(xxi) One representative of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry.

(xxii) Three Sports Promotors and persons knowledgeable in matters relating to promotion/organisation and administration of sports including one woman to be nominated by Govt. of India.

(xxiii) Three Outstanding Sports persons including one women to be nominated by the Govt. of India.

Ex-Officio members

(xxiv) Director-General of the Authority.

(xxv) Secretary of the Authority.

The President may coopt or invite for the purposes of any meeting of the Authority additional members not exceeding ten considering the agenda before the meeting.

(3) The administration and management of the aforesaid Authority shall vest in the following authorities :—

(a) President

(b) Vice-President

(c) Governing Body

(d) Director-General

(e) Secretary

(f) Such other authorities as may be set up by the Government of India or the Authority.

(4) The Governing Body of the Authority shall consist of the following :—

Ex-officio Chairman

(i) Vice-President of the Authority.

Ex- officio Vice Chairman

(ii) Director-General of the Authority.

Member

(iii) Member-Finance of the Authority.

(iv) Representative of FICCI who is a member of the Authority.

Ex-Officio members

(v) Director, National Council of Educational Research and Training.

(vi) Secretary, Association of Indian Universities.

(vii) Secretary-General, Indian Olympic Association.

(viii) Joint Secretary, Department of Sports.

(ix) Joint Secretary, Ministry of Works & Housing.

(x) Director, Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala.

Ex-officioMember-Secretary

(xi) Secretary of the Authority.

The Chairman of the Governing Body may coopt or invite to the meetings of the Governing Body from time to time additional members not exceeding five at a time for any particular meeting considering the agenda of the meeting.

(5) The Director-General of the Authority who will be appointed by the Government of India, will be the Principal Executive Officer of the Authority and Secretary of the Authority who will also be appointed by the Govt. of India will be the Principal Secretary of the Authority.

(6) The term of members of the Authority as well as its Governing body other than Ex-officio members shall ordinarily be three years.

(7) In the event of the first President ceasing to be the President of the Authority at any time the Government of India alone shall have the right to nominate a new President of the Authority on such terms and conditions and for such period as it may determine.

(8) The Authority shall, subject to the approval of the Government of India, make rules and regulations for the conduct of its business and the management of its affairs.

(9) The Sports Authority of India will be fully financed by the Govt. of India on 'meet the deficit' basis and for this purpose funds will be provided by the Govt. as grant-in-aid."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

B. C. MATHUR
Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984